न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील संख्या – 2012/00409 (213/2012) 223 आरटीएक्ट

1. सुन्दर देवी पत्नी स्व0 श्री रामप्रताप } जाति कुम्हार निवासी बड़ोपल तहसील
2. सुभाष पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान

––अपीलांटस

बनाम

1. रोशनीदेवी
2. मन्जू देवी } पुत्रीयां स्व0 श्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी
3. सन्तोष देवी } बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

––रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 प्रकरण संख्या 20/2011 अनवान सुन्दर देवी आदि बनाम रोशनी देवी आदि न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा

उपस्थित :–

श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–20.03.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट/वादीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा में एक दावा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि वादीगण के पिता श्री रामप्रताप को रोही बड़ोपल के खसरा नं. 1114 में 25 बीघा भूमि, खसरा नं. 1029 में 10.00 बीघा व खसरा नं. 1074 में 15 बीघा कुल 50 बीघा बारानी भूमि अस्थाई काश्त पर सन् 1980–81 को आवंटन हुई थी जिसका पट्टा भी रामप्रताप के नाम जारी हुआ। इस अस्थाई काश्त पर दी गई खसरा नं. 1114 की कृषि भूमि को दौराने नवीनीकरण श्रीमान उपायुक्त महोदय बीकानेर के आदेश खसरा नं. 1114 की 25 बीघा भूमि में से खसरा नं. 1029 की 9.15 बीघा व शेष इसी खसरा में 15 बीघा कुल 24.15 बीघा भूमि अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्त पर स्वीकृत की गई । इस आश्य के दो पट्टे श्री रामप्रताप के नाम जारी किये गये । इसके बाद दौराने अस्थाई काश्त नवीनीकरण के श्रीमान तहसीलदार द्वारा यह 49.15 बीघा भूमि को खसरा नं. 1114 में 34.15 बीघा भूमि अस्थाई काश्त पर नवीनीकरण की गई । टी.सी. आवंटित खसरा नं. 1114 की 34.15 बीघा भूमि पर बतौर अस्थाई काश्त पट्टाधारक के श्री रामप्रताप लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में इस 34.15 बीघा भूमि पर वादीगण काश्त कर रहे हैं । श्री रामप्रताप का स्वर्गवास दिनांक 30.08.1990 को हो चुका है जिनके वारिस वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 है । रामप्रताप के फौत होने पर इस भूमि को वादीगण काश्त करते आ रहे हैं । श्री रामप्रताप को अस्थाई काश्त पर आवंटित खसरा नं. 1029 की 19.15 बीघा व खसरा नं. 1114 की 15 बीघा दौराने नवीनीकरण दुरूस्त की जाकर दोनों खसरों की भूमि अस्थाई काश्त पर एक खसरा नं. 1114 में 34.15 बीघा भूमि दी गई जो लगातार कब्जा काश्त में है । राजस्व अभिलेख में पूर्व में दिये गये अस्थाई काश्त पर खसरा नं. 1029 दर्ज है जबकि समस्त भूमि खसरा नं. 1114 में प्राप्त हुई है और इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख में अंकन होनी चाहिए थी । राजस्व अभिलेख में खसरा नं. 1114 में 15 बीघा भूमि अस्थाई काश्त दर्ज हुई थी जो वादीगण को पुख्ता आवंटन हो चुकी है । शेष भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को पुख्ता आवंटन नहीं हो रही है जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है । खसरा नं. 1114 में 9.247 है0 राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज है । इसमें से 1/2 हिस्सा यानि 4. 624 है0. भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है और यह भूमि वादीगण की टी.सी. धारक भूमि है जिसे वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे एंव खसरा नं. 1029 की 2.467 है. बारानी भूमि जो रामप्रताप के नाम दर्ज है उसे आराजी राज दर्ज किया जावे । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 ता 2 में ईकबाल दावा पेश किया प्रतिवादी सं. 4 में जबाव दावा पेश किया । साक्ष्य वादी में वादीगण द्वारा खसरा नं. 1114 में 34.15 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन का टी.सी. पट्टा पेश किया । खसरा गिरदावरी व जमाबन्दीयां पेश की गई । इस भूमि के पड़ोसियों पवन कुमार, जयगोपाल, साहबराम, बृजलाल आदि के ब्यान करवाये गये। न्यायालय सहायक कलैक्टर द्वारा बहस सुनी जाकर दिनांक 13.09. 2012 को निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री पारित कर वाद वादीगण खारिज कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 कतई गलत विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिज के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारिण निर्णय जो कि निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वगैर कोई विवचेन किये, वाद पत्र का अवलोकन किये वगैर अपीलान्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल खारिज के है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण का धारा 88 रा.का.अधि. के तहत टी.सी. आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवाने व वादीगण के पिता व पति श्री रामप्रताप के नाम गलत दर्ज भूमि को आराजी राज दर्ज करने हेतू धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही थी जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की थी। यह दावा अपीलान्ट का टीसी से पुख्ता करवाने का नहीं था । राजस्व अभिलेख में जब तक यह भूमि अपीलान्टगण के नाम नहीं होती है और रकबा अराजी राज दर्ज है इस कारण अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है । वादीगण द्वारा चाहा अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार का था । अधीनस्थ न्यायालय इस ओर ध्यान न देकर वाद पत्र का अवलोकन न कर आनन फानन में निर्णय पारित किया है जो कतई गलत व काबिल खारिज के है। अपील अपीलान्टगण पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर, पीलीबंगा निरस्त फरमाया जाकर वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्त ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत रोही बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1114 की 4.624 है. भूमि में वादीगण ब.हि.ब. के टीसी धारक घोषणा करने एवं रोही बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1029 की 2.467 है0 बारानी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जो रामप्रताप के नाम दर्ज है को दुरूस्त कर आराजी राज दर्ज करने का अनुतोष मांगा है। अधीनस्थ न्यायालय ने ने विवादित भूमि टीसी से सम्बन्धित होने तथा टीसी पुख्ता हेतु नियमानुसार आवंटन नियमों के तहत पृथक से आवेदन किया जाना अपेक्षित मानते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया है। **प्रकरण में अपीलाण्ट के वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि रामप्रताप को अस्थाई काश्त पर दी गई थी। खसरा नं. 1114 में 9.247 है. भूमि राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज है जिसके 1/2 हिस्से पर अपीलाण्ट ने अपना कब्जा होना बताया है यह भूमि वादीगण बतौर टीसी धारक राजस्व अभिलेख में अंकित करवाना चाहता है तथा खसरा 1029 की 2.467 है. बारानी भूमि जो रामप्रताप के नाम दर्ज है उसे आराजी राज दर्ज करवाना चाहता है। इस न्यायालय के मतानुसार टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु अपीलाण्ट को आवंटन नियमों के तहत ही कार्यवाही करनी चाहिए। अपीलाण्ट द्वारा वांछित अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत देय नहीं है।** ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम ऐसी विधिक अनियमितता नहीं पाते हैं जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित है। परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2012 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों

8. निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या – 2012/00409 (213/2012) 223 आरटीएक्ट

1. सुन्दर देवी पत्नी स्व0 श्री रामप्रताप
2. सुभाष पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप

} जाति कुम्हार निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान

––अपीलांटस

बनाम

1. रोशनीदेवी
2. मन्जू देवी
3. सन्तोष देवी

} पुत्रीयां स्व0 श्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। ––रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 प्रकरण संख्या 20/2011 अनवान सुन्दर देवी आदि बनाम रोशनी देवी आदि न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2012 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.03.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 13:22:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: